

jy I a fRRk dh pkjh ds ekeyka dk i athdj.k fooj.k ekg uoEcj & 2014

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
uoEcj & 2014	33	33	77030	77030	49	00	00

cp'knk I a fRRk dh pkjh ds ekeyka dk i athdj.k fooj.k ekg uoEcj 2014

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
uoEcj & 2014	00	00	00	00	00	00	00

jy I kexh dh pkjh ds ekeyka dk i athdj.k fooj.k ekg uoEcj & 2014

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
uoEcj & 2014	33	33	77030	77030	49	00	00

jy vf/kfu; e ds rgr ekg uoEcj&2014 e dh xbl dk; bkgi dk foj.k %

धारा	पंजीकृत प्रकरण	जुर्माना राशि रु. में
137	1071	2860918
138	8225	4753367
139	0	0
141	244	55895
142	0	0
143	03	0
144	1054	158200
145	667	41000
146	09	4000
147	302	32750
153	02	0
154	14	109650
155	698	16400
156	246	13660
157	0	0
159	514	29700
160	14	13000
161	0	0
162	613	19100
163	0	0
164	0	0
165	0	0
166	0	0
167	95	8100
172	01	0
173	0	0
174	16	26650
175	0	0
176	0	0
180(g)	0	0
Total	13,788	81,42,390

jsl qc-@i ejs }kjk ekg ds nkj ku fd; s x; s vU; vPNs dk; kã dk C; kjk %

01. इस माह रेल सुरक्षा बल द्वारा रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चलाये गये अभियानों में 19,850 व्यक्तियों को अभियोजित कर उनसे बतौर जुर्माना 81,42,390/-रु. की राशि बतौर जुर्माना प्राप्त की गई है।
02. दिनांक 06.11.2014 को सउनि/सवाईमाधोपुर रामलखन यादव को प्लेटफार्म नं0 3 पर गस्त के दौराने पार्सल हम्माल नरेश कुमार ने सूचना दिया कि पार्सल साईड में एक काला बेग जिसमें 02 बण्डल कागज (शामासाह योजना के फार्म), 01 एलईडी, 01 पेन ड्राईव, 01 एटीएम कार्ड व 01 वोटर आईडी कुल कीमत 1,17,240/- लावारिस हालत में मिला। जिस पर सउनि/सवाईमाधोपुर रामलखन यादव मय स्टाफ मौके पर पहुंचकर उक्त सामान को चेक करने पर उसमें 01 डायरी मिली जिसमे लिखे नाम तेजपाल सिंह जोशी के मोबाईल नम्बर 9001931194 से सम्पर्क किया तो बताया कि वह आगरा-नीमच पेसैन्जर से गंगापुरसिटी से सवाईमाधोपुर आये थे प्लेटफार्म बदलते समय हमारा सामान वही छूट गया था। बाद उक्त सामान को दो पंचो के समक्ष सुपुर्द किया।
03. दिनांक 11.11.2014 को बीट नं. 1-3 इटारसी छोर पर ड्रियूटी पर तैनात आरक्षक डेबिडदीन द्वारा प्लेटफार्म नं. 02 पर काफी समय से बैच पर एक लड़का व एक लड़की बैठे थे। आरक्षक को शक होने पर उनसे पूछताछ किया तो दोनो ने संताषजनक जवाब नहीं दिया जिस पर आरक्षक दोनो को भोपाल पोस्ट पर लाया। पूछताछ करने पर लड़के ने अपना नाम राहुल कुमार उम्र 21 वर्ष निवासी जिला झाँसी तथा लड़की ने अपना नाम उमादेवी उम्र 19 वर्ष निवासी जिला झाँसी बताया। उपरोक्त लड़का व लड़की के परिजनो से संपर्क कर सहायक उपनिरीक्षक ओम प्रकाश द्वारा बिना किसी शिकवा शिकायत के परिजनो को सुपुर्द किया गया है।
04. दिनांक 24.11.2014 को शाम के समय एक महिला अपने साथ करीबन 03 माह की बच्ची को गोद मे लेकर रेसुब पोस्ट भोपाल स्टेशन पर आई, जो मानसिक तौर पर परेशान थी महिला ने अपना नाम व पता पूजा पत्नी बलराम यादव उम्र 30 साल निवासी शमसाबाद बताया एवं आगे बताया कि उसके पति बलराम यादव व जेठ बलबीर यादव द्वारा उस पर अत्याचार किये जाने के कारण वह ससुराल से निकल कर आ गई है। दिनांक 25.11.2014 को उसके पिता जगदीश को सउनि ओम प्रकाश के द्वारा सुपुर्द किया गया।
05. इस माह में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर 452 व्यक्तियों के विरुद्ध **तम्बाकु अधिनियम** (क्तवीपइपजपवद विकअमतजपेमउमदज ंदक तमहनसंजपवद वितंकमए चतवकनबजपवदए ंनचचसल ंदक कपेजतपइनजपवद ळजए 2003द्ध के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे 90,400/-रु. का जुर्माना वसूल किया गया।

